राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड
23/16, सर्कूलर रोड, डालनवाला, देहरादून
आवेदन–पत्र का प्रारूप

''राज्य आयोग, उत्तराखण्ड में न्यायमित्र (Amicus-curiae) के पैनल में सम्मिलित करने हेतु

नवीनतम फोटो स्वहस्ताक्षरित सहित

1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	पता, ई–मेल, मोबाईल नम्बर सहित	
5.	शैक्षिक योग्यता	
6.	अधिवक्ता पंजीकरण संख्या (प्रमाण–पत्र की प्रति सहित)	
7.	अधिवक्ता के रूप में अनुभव (प्रमाण–पत्र सहित)	

घोषणा

उपरोक्त वर्णित विवरण मेरी निजी जानकारी में सत्य एव सही है। मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय/अधिकारी के समक्ष नैतिक उद्यमता से सम्बन्धित कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

यदि उक्त वर्णित विवरण अपूर्ण एवं असत्य पाया जाता है, तो मेरा आवेदन स्वयं निरस्त समझा जायेगा।

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर नाम सहित

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड
23/16, सर्कूलर रोड, डालनवाला, देहरादून

पत्रांक संख्या 864 /2025/रा0आ0 दिनांक. 29.11.2025

अधिसूचना

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोय आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून, उन मामलों में, जिनमे पक्षकार द्वारा याचना की जाती है कि वह अधिवक्ता नियुक्त करने में आर्थिक रूप से असमर्थ हैं या किसी मामले में राज्य आयोग को लगता है कि विषय वस्तु के सम्बन्ध में न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता की नियुक्ति आवश्यक है, उन मामलों में न्यायमित्र (Amicus Curiae) के रूप में अधिवक्ताओं का एक पैनल गठित किया जाना है। न्यायमित्र के रूप में नियुक्त अधिवक्ता, मा0 राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होकर, आवंटित प्रकरण मे उचित पैरवी/कार्यवाही करेंगे।

अतः बार एसोसिएशन, देहरादून के इच्छुक सदस्य, न्यायमित्र (Amicus Curiae) के पैनल में सम्मिलित होने हेतु, अपना आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में, निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, 23/16, सर्कूलर रोड, डालनवाला, देहरादून को **केवल स्पीड पोस्ट** के माध्यम से **दिनांक 31.12.2025 तक** प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन–पत्र के लिफाफे पर "**राज्य आयोग, उत्तराखण्ड में न्यायमित्र (Amicus curiae) के पैनल में सम्मिलित करने हेतु**" अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। तय तिथि के उपरान्त कोई आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा

(राहुल कुमार श्रीवास्तव)
निबंधक
निबन्धक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड
23/16, सर्कूलर रोड, डालनवाला, देहरादून

पत्रांक संख्या 865 /2025/रा0आ0 दिनांक 27.11.2025

न्यायमित्र (Amicus-curiae) पैनल की नियुक्ति के नियम एवं शर्ते

1. प्रार्थी को विज्ञापन की तिथि को कम से कम 03 तीन वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, जिसके लिए उसे बार एसोसिएशन, देहरादून द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. न्यायमित्र (Amicus Curiae) का कार्यकाल, आदेश जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसे मा0 अध्यक्ष, राज्य आयोग की अनुमति से एक वर्ष और विस्तार किया जा सकता है।
3. न्यायमित्र (Amicus Curiae) को प्रति प्रकरण रू0 6,000.00 (रूपये छः हजार) मात्र मानदेय के रूप में देय होंगे।
4. न्यायमित्र (Amicus Curiae) को 50 प्रतिशत मानदेय का भुगतान उसके नामित होने पर तथा शेष 50 प्रतिशत का भुगतान, प्रकरण के पूर्ण निस्तारण के पश्चात्, राज्य आयोग उपभोक्ता विधिक सहायता खाते से चैक के माध्यम से किया जायेगा।
5. न्यायमित्र (Amicus Curiae) को प्रकरण के निस्तारण के पश्चात्, मानदेय प्राप्त करने हेत, प्रार्थना–पत्र के साथ आवंटित प्रकरण के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

Rahul Kumar Shrivastava

(राहुल कुमार श्रीवास्तव) एच.जे.एस.
निबंधक

निबन्धक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून